was taken by the Central Government; and

(b) the reasons for not starting the construction of the proposed fishing harbour so far;

(c) when the construction work is likely to start and when it is likely to be completed; and

(d) the total amount likely to be incurred on the project?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) A project report for setting up a fishing harbour at Nuagar near Astrang in Orissa has been prepared and appraised.

(b) In August, 1978, Government decided that further sanctions for any new fishing harbour projects will be considered after an evaluation of the already completed harbours was carried out. The planning Commission has completed the evaluation study in June, 1980 and their report is expected shortly.

(c) The construction is likely to be completed within three years from the date of sanction of the project.

(d) Investment decision will be taken in the light of recommendations to be made in the above said report.

हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास

*415. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिंटर के विकास का कार्य राजभाषा विभाग से ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सम्पूर्ण और दोष रहित हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास करने के लिए गठित समिति में नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ;

(घ) समिति के सदस्य के चैयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार को स्थायी और सम्पूर्ण की-बोर्ड वाले टेलीप्रिंटर का विकास करने के बारे में कोई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं । हिन्दी टेलीप्रिंटरों के विकास का काम, हमेशा से संचार मंत्रालय के नियंत्रण में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा ही होता रहा है ;

(ख) सवाल पैदा नही होता।

(ग) हिन्दी टेलीप्रिंटर के लिए कुंजी पटल (की-बोर्ड) को अन्तिम रूप देने के बाद, ऐसी किसी समिति का गठन नही किया गया है जिसे सम्पूर्ण और दोषरहित हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास कार्य सौपा गया हो ;

(घ) सवाल पैदा नही होता ।

(ङ) देवनागरी (हिन्दी) टेलीप्रिंटर के मौजूदा कुंजी पटल में सुधार के सुझाव—विशेषकर समाचार एजेन्सियों—से समय समय पर मिलते रहे हैं । तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक हल निकालने के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड इन सुझावों का गहराई के साथ अध्ययन कर रहा है।

टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई

*416. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार और जिलावार, अकाल और पानी की कमी से प्रभावित ऐसे कितने गांव हैं जहां टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि अन्य गांवों की तुलना में उपरोक्त गांवों मे पानी की कमी की समस्या अधिक गम्भीर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त गावों में पेय जल की सप्लाई के काम को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने का विचार है और क्या उन गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए अलग से धनराशि आवंटित करके राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जायेगी ताकि तीन वर्षों की अवधि के भीतर उन गांवो में पेय जल की व्यवस्था हेतु स्थायी समाधान निकाला जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० ठठी): (क) 1980-81 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सूखे से प्रभावित थे। उन ग्रामों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है जहां इन राज्यों में पानी टैंकरों के जरिये सप्लाई किया जाता है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार इस बात की जानती है कि उन समस्याग्रस्त ग्रामों को सहायता देने में अग्रता दी जानी चाहिये जहां स्थिति बहुत

शोचनीय है (जहां समीपस्थ जल स्रोतों या तो 1.6 कि० मी० से अधिक दूरी पर है या 15 मीटर की गहराई से नीचे है या जहां जल स्रोत स्थानीयमारी हैजा या नहरुआ कृषि से ग्रस्त है या जहां स्रोतों में अत्यधिक फ्लोराइड है या अन्य ऐसे जहरीले पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हैं) राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि व इन ग्रामों में पेय जल की सप्लाई को प्राथमिकता दें। केन्द्रीय सरकार भी केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम में से इन ग्रामों को पेय जल देने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। फिलहाल लक्ष्य यह है कि 1980-85 की अवधि के भीतर सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल दे दिया जाए और राज्य क्षेत्र में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तगत संसाधन जटाय जाएं और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम में किये गये प्रावधानो द्वारा इसकी सपूर्ति की जाए।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

श्री काकूलम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, महबूब नगर, `डक, नालगोंडा और करनूल जिलो के कुछ गावो में सूखा की स्थिति में अड़ोस-पड़ोस में कोई पेय जल नही है। अतः इन ग्रामों को टकरों द्वारा पानी पहुंचाना आवश्यक हो जाता है :—

बिहार

क्रम सं०	जिला का नाम	उन गांवों की संख्या जहां कैरियर प्रणाली आरम्भ करनी पड़ी है।
1	2	3
1.	रांजी	210
2.	पालामाग्रो	नगर क्षेत्रों में कैरियर
3.	धनबाद	100 स्थानों में कैरियर
4.	संथाल परगना	6 कैरियर प्रणाली
5.	मुंगेर	नगर में 4 टैंकर यूनिट
6	नवादा	8 कैरियर प्रणाली
7.	गया	121
8.	औरंगाबाद	98
9.	रोहतास	52

गुजरात

क्रम सं०	जिला का नाम	पेय जल पूर्ति का प्रबन्ध टैंकरों द्वारा किया जाना है
1	2	3
1.	पंचमहल	3
2.	साबरकण्ठा	1
3.	बनसकण्ठा	27
4		23
5.	अहमदाबाद	14
6.	राजकोट	4
7.	सुरेन्द्र नगर	17
8.	भावनगर	30
9.	जूनागढ़	4
10.	डांगा	10
	कुल	133

हिमाचल प्रदेश

क्रम सं०	जिला का नाम	टैको द्वारा जल पहुचाना
1	2	3
1.	शिमला	एक मुश्त ५ ताॅ६ ६५ये की राशि
2.	किन्नौर	
3.	सिरमौर	
4.	सोलन	
5.	बिलासपुर	
6.	हमीरपुर	
7.	ऊना	
8.	कांगड़ा	
9.	मण्डी	
10.	चम्बा	
11.	कुल्लू	

मध्य प्रदेश

क्रम सं०	जिला का नाम	वे ग्राम जहां चल पहुंचाने की योजना बनाई गई है।
1	2	3
1.	इन्दौर	5
2.	धर	4
3.	झबुआ	5
4.	खड़गोन	8
5.	खण्डवा	7

1	2	3
6.	उज्जैन	39
7.	रतलाम	21
8.	मन्दसौर	550
9.	देवास	44
10.	शाजापुर	307
11.	भोपाल	–
12.	विदिशा	23
13.	होशंगाबाद	25
14.	बेतुल	–
15.	रायसेन	–
16.	सिहोर	212
17.	राजगढ़	337
18.	ग्वालियर	80
19.	दतिया	95
20.	मुरेना	287
21.	भिण्ड	शून्य
22.	गूना	218
23.	शिवपुरी	96
24.	सागर	270
25.	छतरपुर	135
26.	पन्ना	156
27.	दमोह	214
28.	टीकमगढ़	241
29.	सीवा	60
30.	सतना	40
31	शाहडोल	55
32.	सिद्धी	50
33.	जबलपुर	40
34.	नरसिंहपुर	–
35.	बालाघाट	116
36.	मण्डला	103
37.	सिग्रोनी	29
38.	छिन्दवाड़ा	188
39.	रायपुर	116
40.	राजनन्दगांव	121
41.	दुर्ग	96
42.	(क) जगदलपुर (ख) कोरबा	15 16
43.	(क) बिलासपुर (ख) कोरबा	234
44.	सुरगुजा	308
45.	रायगढ़	4
	कुल	4970

उड़ीसा

खरीफ सीजन 1980 में सूखे से प्रभावित जिलों के नाम

1. बालासौर 2. कटक 3. बोलांगीर 4. धेंकानल 5. गंजम 6. केओंझर 7. कोरापुट 8. कालाहांडी 9. मयूरभंज 10. पुरी 11. फुलबनी 12. सुन्दरगढ़ 13. सांम्बलपुर	लगभग 4,000 ग्रामों में जल की ढुलाई की जानी है।

राजस्थान

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामों में टैंकरों द्वारा जल सप्लाई किया जाना है
1	2	3
1	बाड़मेर	57
2	बीकानेर	152
3.	चूरू	161
4	गंगा नगर	45
5.	जैसलमेर	172
6	जालोर	26
7.	झुनझुनू	4
8.	जोधपुर	126
9.	नागौर	65
10.	पाली	34
	कुल	842

उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिला का नाम	टैंकरों और ड्रमों द्वारा ग्रामों में पानी ले जाया जाना
1	2	3
1.	आगरा	46
2.	मथुरा	21
3.	झांसी	182
4.	ललितपुर	71

1	2	3
5.	हमीरपुर	89
6.	बांदा	323
7.	जालौन	65
8.	इटवा	--
9.	बिजनौर	--
10.	वाराणसी	21
11.	मिर्जापुर	216
12.	इलाहाबाद	437
13.	फतेहपुर	35
14.	जोनपुर	--
15.	आजमगढ़	--
16.	फैज़ाबाद	--
17.	बलिया	--
18.	गाजीपुर	--

Urban Land Ceiling Act

*417. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to bring about major changes in the Urban Land Ceiling Act which are also expected to go a long way in releasing the hold of black money on urban property;

(b) if so, whether the Ministry has prepared a draft of the proposed amendments to the Urban Land Ceiling Act;

(c) if so, whether the Central Government propose to consult the State Governments before legislation is introduced;

(d) whether Union Government has received the comments on the proposed amendments from the various States; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). For some time past State Governments have been pointing out difficulties experienced in the administration of the Act as also lacunae in its provisions. There were also suggestions for amendment of the Act. With a view to identifying the areas where amendments are essential, the Government of India set up a Working Group in November, 1979. The Group has submitted its report which is under consideration in consultation with the State Governments.

(d) Not yet, Sir.

(e) Does not arise.

Memorandum received from Employees of Central Fisheries Corporation

*418. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the employees of Central Fisheries Corporation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Fisheries Corporation Employees Association in their Memoranda has been demanding mainly the revival of the Corporation on various grounds and suggesting measures to make the Corporation viable.

(c) The decision to wind up the Corporation is being considered by the Government in the light of the 49th Report of the Committee on Public Undertakings and the recommendations contained therein.

डाकघरों में गबन

*419. श्री राम लाल राही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न डाकघरों में मनीआर्डर के झूठे भुगतान और लघु बचत खातों में